राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 1803/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
कैलाश पंवार बी-121] करमीसर रोड के पास] मुरलीधर व्यास नगर, Bikaner,Rajasthan		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अध्यक्ष एंव प्रबंध निदेशक राजस्थान राज्य विधुत उत्पादन निगम लि, विधुत भवन, जनपथ, ज्योति नगर Jaipur

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 11/04/2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री मोहम्मद नासिर, कार्मिक अधिकारी, उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी ने आवेदन दिनांक 14-6-17 से अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के कार्यालय से जारी उस आदेश की प्रति जिसके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी की शक्तियां एवं जवाब देही का हस्तानान्तरण श्री आलोक शर्मा, लोक सूचना अधिकारी, कार्मिक को किया गया है, के सम्बन्ध में सूचना चाही थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी को पत्र दिनांक 3-7-17 एवं 18-9-17 से वांछित सूचना प्रेषित कर दी गई है।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 8-3-18 मय संलग्नक प्रस्तुत कर प्रति अपीलार्थी को पृष्ठांकित की है से प्रत्यर्थी के पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है।

7. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी द्वारा अपना विनिश्चय पत्र दिनांक 3-7-17 एवं 18-9-17 से किया जा चुका है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना वही दी जा सकती है जो कि अभिलेख पर उपलब्ध हो। राज्य लोक सूचना अधिकारी से सूचना का सृजन कर सूचना उपलब्ध करवाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। चाही

गई सूचना उपलब्ध रिकॉर्ड की नकल है, उसकी व्याख्या करना राज्य लोक सूचना अधिकारी के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है।

8. अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

9. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

10. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

11. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त